

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- भीलवाड़ा में पंकज छीपा, मेडीकल आफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल, भीलवाड़ा को ग्यारह लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया

जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-द्वितीय द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉ पंकज छीपा मेडिकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा को 11 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के अस्पताल (श्री सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भीलवाड़ा) के मुख्यमन्त्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बिलो को नोटिस नहीं देने व अनियमितता सैटल करने व बिल पास करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर आरोपी द्वारा परेशान किया जा रहा था। जिसका आज दिनांक 15.12.2025 को परिवादी को आरोपी डॉ पंकज छीपा के पास भेजकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा 9.50 लाख रुपये डॉ कुलदीप (सीनियर डॉक्टर) के लिये एवं 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए रिश्वत की मांग की गई।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-द्वितीय के नेतृत्व में आज दिनांक 15.12.2025 को श्री नरपत सिंह चारण, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-द्वितीय ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉ पंकज छीपा हाल मेडीकल आफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा को मांग के अनुसरण में 2.00 लाख भारतीय चलन मुद्रा के असल नोट एवं 9.00 लाख के डमी नोट की रिश्वत राशि (कुल 11.00 लाख रुपये) लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।